फा.सं. 12/6/2013-संसद एवं समन्वय
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

तीसरा तल, जीवन दीप भवन,
10, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
17 जून, 2019

कार्यालय आदेश

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) एवं (2) के तहत वित्तीय सेवाएं विभाग में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ)/अपीलीय प्राधिकारियों (एए) की नियुक्ति।

इस विभाग के 28 .03. 2019 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के क्रम में वित्तीय सेवाएं विभाग में अधिकारियों की तैनाती/स्थानांतरण/पदोन्नतियां/अधिवर्षिता आदि के कारण परिवर्तन होने के फलस्वरुप **केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ)/अपीलीय प्राधिकारियों (एए)** की सूची एतद्वारा निम्नानुसार संशोधित की जाती हैः-

वित्तीय सेवाएं विभाग में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ)/अपीलीय प्राधिकारियों (एए) की सूची

क्रम सं.	केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) का नाम, पदनाम, ई-मेल पता, दूरभाष संख्या	अपीलीय प्राधिकारी (एए) का नाम, पदनाम, ई-मेल पता, दूरभाष संख्या	आबंटित कार्य का ब्यौरा
(1)	(2)	(3)	(4)
	सर्वश्री/सुश्री	सर्वश्री/सुश्री	
1.	सौम्यजित घोष, अवर सचिव soumyajit.ghosh@nic.in (दूरभाष: 23748767)	ए. के. डोगरा, उप सचिव dogra.ak@nic.in (दूरभाष: 23340846)	**संसदः** संसद प्रश्नों, नोटिसों, स्वीकृत प्रश्नों को संग्रहित करना, उनकी पहचान करना एवं उन्हें चिह्नित करना तथा मंत्री से फाइलें अनुमोदित करवाना। मंत्रियों के पैड्स के लिए तथ्य एवं उत्तर तैयार करना, संसद के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति का संबोधन, 377 के अंतर्गत लंबित आश्वासनों, विशेष उल्लेख एवं संदर्भ तथा आरंभिक सामग्री में यथा उल्लिखित अन्य मामलों का ध्यान (ट्रेक) एवं रिकार्ड रखना।
2.	सौम्यजित घोष, अवर सचिव soumyajit.ghosh@nic.in (दूरभाष: 23748767)	अंशुमन शर्मा, उप सचिव anshuman.sharma@gov.in (दूरभाष: 23748772)	**औद्योगिक वित्त-I (आईएफ-I):** निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) अधिनियम, 1981 तथा आईआईएफसीएल की अर्थक्षम/व्यवहार्य अवसंरचना वाली परियोजनाओं (एसआईएफटीआई) के वित्तपोषण की स्कीम का अभिशासन, एक्जिम बैंक, आईआईएफसीएल एवं आईएफसीआई लि. से संबंधित परिचालनात्मक/नीतिगत/बजटीय मामले, आईआईबीआई लि. को बंद करने और अन्य संबंधित मामले, बोर्ड स्तरीय नियुक्तियां और पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी) के व्यक्तिगत मामले, - एक्जिम बैंक, आईआईएफसीएल, आईएफसीआई और आईडीएफसी लि. में गैर-सरकारी निदेशक (एनओडी) और सरकार द्वारा नामित निदेशक। एक्जिम बैंक में वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, विद्युत, वस्त्र, निर्यात, स्टील, टेलीकॉम, सड़क, शिपिंग आदि जैसे क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट मामले, आईआईएफसीएल, एक्जिम बैंक,

अंस्मिन जेम्स

			आईएफसीआई लि. और आईआईबीआई लि. की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। चयनित क्षेत्रों में दबावग्रस्त आस्तियों का पुनरुद्धार, परियोजना जांच समूह बैठक, क्षेत्रीय दबाव और राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना निधि से संबंधित सभी मामले, रत्नागिरी गैस एंड पॉवर प्रा. लि. (आरजीपीपीएल) से संबंधित मामले। एक्जिम बैंक और आईआईएफसीएल के सिटिजन चार्टर। इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएल एंड एफएस), मीडिया से संबंधित मामले।
3.	चन्द्रगुप्त शौर्य, अवर सचिव c.shaurya@nic.in (दूरभाष: 23748764)	मनीष गुप्ता, निदेशक manish.gupta70@nic.in (दूरभाष: 23362422)	**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी):** आरआरबी अधिनियम, 1976 तथा उसके अंतर्गत बनाए जाने वाले नियमों के संबंध में विधायी मामले, आरआरबी के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी निदेशकों का नामांकन, अध्यक्ष की नियुक्ति, आरआरबी की सिफारिश, आरआरबी के कार्यनिष्पादन की समीक्षा, वेतन संशोधन, श्रम शक्ति नियोजन, सभी आरआरबी की वार्षिक रिपोर्ट और उसकी समीक्षा प्रस्तुत करना, आरआरबी के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के स्टाफ सेवा विनियम तथा पदोन्नति नियमावली बनाना, आरआरबी के आईआर मामले। आरआरबी का नागरिक घोषणा-पत्र। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित महिलाओं, कमजोर वर्गों को ऋण, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम, अल्पसंख्यकों को ऋण, सच्चर समिति द्वारा अनुशंसित चुनिन्दा पैरामीटरों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई, डीआरआई योजना, शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों को पीएसएल ऋण।

2. कोई विवाद होने की स्थिति में उप सचिव (समन्वय) संबंधित सीपीआईओ को आवेदन चिह्नित करेंगे तथा इस संबंध में उप सचिव (समन्वय) का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

3. कार्यालय में नामित सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारी की अनुपस्थिति में स्थापना अनुभाग द्वारा समय-समय पर नियुक्त लिंक अधिकारी नियमित आधार पर नामित सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारी के स्थान पर आरटीआई से संबंधित सभी मामलों का निपटान करेंगे।

4. मौजूदा सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारियों की अधिवर्षिता, स्थानांतरण तथा पदोन्नति आदि के मामले में स्थापना अनुभाग द्वारा नियुक्त किए गए पदस्थ अवर सचिव तथा निदेशक/उप सचिव समन्वय अनुभाग द्वारा सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किए जाने तक क्रमशः सीपीआईओ तथा अपीलीय प्राधिकारी माने जाएंगे।

जैस्मिन जेम्स

(जैसमिन जेम्स)
नोडल अधिकारी (आरटीआई)/उप सचिव (समन्वय)
दूरभाषः 011-23748731

वित्तीय सेवाएं विभाग के सभी अधिकारी।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थः

1. वित्त मंत्री/वित्त राज्य मंत्री के निजी सचिव।
2. सचिव (वित्तीय सेवाएं) के प्रधान निजी सचिव।
3. अपर सचिव (एफआई)/अपर सचिव (बी)/अपर सचिव (डी), वित्तीय सेवाएं विभाग के प्रधान निजी सचिव।

प्रति निम्नलिखित को भी प्रेषितः

एनआईसी, वित्तीय सेवाएं विभाग को इस अनुरोध के साथ कि वित्तीय सेवाएं विभाग की वेबसाइट पर इस आदेश को अपलोड करें।

जॅस्मिन जेरस्स